कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-जीडी।/निरीक्षण वाहन/के-5(23)/2025-26 दिनांक

निविदा

इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण कार्य हेतु एक निरीक्षण वाहन (Ciaz/Honda City and equivalent Latest Model White Color) कार वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 के लिये अनुबन्ध के आधार पर किराये पर ली जानी है। इच्छुक कार प्रदाता फर्मों से उक्त कार हेतु GeM Portal के माध्यम से सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की सूचना https://cag.gov.in/ae/rajasthan/en पर उपलब्ध है ।

वरि. लेखाधिकारी/जीडी

नियम व शर्तें

1. एक (Ciaz/Honda City and Equivalent Latest Model White Colour) नई वातानुकूलित कार सफ़ेद तथा पूर्णतया सुसज्जित होनी चाहिए जिनमें सफेद सीट कवर, म्यूजिक, कारपेट, फुटमेट, पर्दे तथा जी.पी.एस. सिस्टम आदि फिटिंग्स होनी चाहिए ।
2. कार्यालय को आवश्यकता पडने पर वाहन की संख्या इन्हीं शर्तों पर बढायी जा सकती है।
3. सफल निविदादाता को कुल अनुबन्ध राशि का 5% प्रतिभूति गारंटी(सिक्योरिटी डिपोसिट) के रूप में बैंक गारंटी/एफ.डी.आर/ बैंक ड्राफट Pay & Accounts Officer (IA&AD), Rajasthan Jaipur के पक्ष में 14 माह के लिये कार्यालय में 05 कार्यदिवस के अन्दर जमा करवानी होगी।
4. उपलब्ध करवाया जाने वाला वाहन टैक्सी नम्बर के अंतर्गत राजस्थान में पंजीकृत होना चाहिये।
5. वाहन का मॉडल जनवरी 2023 से पहले का नहीं होना चाहिये तथा 25,000 कि.मी. से अधिक चला हुआ नहीं होना चाहिये,
6. वाहन चालक को कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा टेक्सी नम्बर कार चलाने हेतु अधिकृत ड्राईविंग लाईसेन्सधारी होना चाहिए ।
7. सामान्यतया कार्य समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक होगा। रविवार के अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं होगा।
8. उपलब्ध करवायी गयी कार के खराब होने/सर्विस पर होने अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति के दौरान दूसरी कार उपलब्ध करवायी गयी कार के समकक्ष करवायी जानी है तथा अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी ।
9. यदि किसी भी दिन वाहन उपलब्ध नहीं करवाने अथवा चालक के अनुपस्थित रहने पर बिल की राशि में से एक दिन की राशि काट ली जावेगी तथा ऐसा यदि महिने में दो बार होता है तो बिल की राशि में से 10% राशि काट ली जावेगी अथवा प्रथम

पक्ष द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में कार्यालय को बाजार से वाहन लेने का अधिकार भी होगा एवं इस पर होने वाले व्यय का भुगतान फर्म के बिल में से कटौती कर किया जायेगा |

10. फर्म का कार्यालय जयपुर में स्थित होना चाहिये एवं वाहन फर्म/प्रोपराईटर के नाम रजिस्टर होना चाहिये, फर्म द्वारा वाहन फ्लीट का विवरण संलग्न करना होगा |
11. फर्म द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र पूर्व में किये गए केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों के संतोषजनक पूर्ण होने का ही मान्य होगा तथा कितने वाहन कार्य पर लगाये इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में अवश्य होना चाहिए ।
12. कार जयपुर से अथवा राजस्थान से बाहर दौरे पर जा सकती है | जिसमें चालक के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी, दूसरे राज्य का कर, टोल टैक्स, पार्किंग इत्यादि का खर्चा कार्यालय द्वारा देय होगा ।
13. कार की मरम्मत एवं सभी प्रकार के कर, इन्श्योरेन्स के सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी । इससे सम्बंधित सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने होंगे |
14. अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिये होगी। उपलब्ध कराई गई सेवाएं संतोषजनक पाई जाती है तो इस अनुबन्ध को आगे भी बढाया जा सकता है।
15. वाहन की दरें 2000 कि.मी. प्रति माह की होगी | 2000 कि.मी. से अधिक चलने की दरों का उल्लेख एवं अन्य चार्जेज का विवरण भी प्रस्तुत करना है। किसी माह में 2000 कि.मी. से कम चलने पर 200 केि.मी. तक को आगामी माह में समायोजित किया जायेगा।
16. सेवा प्रदाता द्वारा कार चालक को निर्धारित वर्दी सफ़ेद शर्ट एवं काली पेंट तथा पहचान-पत्र उपलब्ध करवाना होगा और उसे कार्य समय में पहनना अनिवार्य होगा ।
17. कार्यालय द्वारा सप्ताह में एक दिन (रविवार) का अवकाश दिया जाएगा, यद्धपि आवश्यकता होने पर वाहन चालक को अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है । निर्धारित समय के अतिरिक्त समय हेतु ओवरटाईम निविदा के हिसाब से प्रति घण्टा देय होगा | यह उस स्थिति में देय नहीं होगा जब कार जयपुर से बाहर दौरे पर जाए एवं इसके लिए नाइ्रट होल्ट चार्ज निविदा अनुसार प्रति नाईट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
18. उपलब्ध करवायी जाने वाली कार को कार्यालय अथवा कार्यालय की आवासीय कालोनी, बजाज नगर, जयपुर में खड़ी करनी होगी । कि. मी. की गणना केवल आने एवं जाने के स्थान से की जावेगी |
19. यदि भविष्य में उपलब्ध करवायी गयी कार पर कोई अन्य कर लागू होता है या फर्म किसी कर के दायरे में आती है तो कर की राशि जमा करवाने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी ।
20. कोई भी पक्ष बिना कारण बताये दो माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा यदि दो माह का नोटिस दिए बिना अनुबंध छोड़ देता है तो उसकी समस्त जमा राशियाँ जब्त कर ली जाएगी।
21. यह कि स्वीकृत दरें कुल निविदा की अवधि के लिए लागू होगी तथा समय में वृद्धि फर्म एंव इस कार्यालय की आपसी सहमति से ही की जा सकेगी ।
22. सेवा प्रदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि कार पर समस्त देय कर एवं बीमा राशि, ईंधन, ल्यूबरीकेन्ट, चालक का वेतन भुगतान (न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार के श्रम और रोजगार

मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार) समय पर किया जाये और कार हमेशा अच्छी कंडीशन में रहे और कार की रिपेयरिंग/सर्विस अवकाश के दिवस में ही करायी जाए, यदि कार्य दिवस को कराना अनिवार्य हो तो आवश्यकतानुसार दूसरी कार की व्यवस्था सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।

23. उपलब्ध करवायी जाने वाली कार पर फास्ट टैग एवं अग्नि शमन यंत्र लगाना आवश्यक है ।
24. उपलब्ध करवायी जाने वाली कार केवल पैट्रोल/कम्पनी फिटेड सीएनजी युक्त ही होनी चाहिए।
25. Covid 19 के नियमों की पूर्ण रूप से अनुपालना वाहन प्रदाता को करनी होगी ।
26. उक्त कार्य हेतु एक अनुबंध 500/- रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करना होगा ।
27. विवाद की दशा में मामले में अंतिम निर्णय कार्यालय अध्यक्ष का रहेगा एवं क़ानूनी न्याय का क्षेत्र जयपुर(राजस्थान) रहेगा।
28. वाहन को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कानूनी दायित्वों को पूरा करना चाहिए जैसे सड़क कर का भुगतान आदि, विभिन्न वैधानिक कानूनों के तहत सभी आवश्यकताओ का पालन करना चाहिए , कोई भी चूक प्रथम पक्ष की देनदारी होगी और द्वितीय पक्ष किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा |
29. किसी दुर्घटना या किसी अन्य आकिस्मिकता के मामले में इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे को प्रथम पक्ष द्वारा ही वहन किया जायेगा, इसमें द्वितीय पक्ष की कोई जिम्मेदारी है होगी |
30. वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के जोखिम कवर सहित वाहनों का बीमा प्रथम पक्ष द्वारा मोटर वाहन अधिनियम और नियमो में निदिष्ट देयता की सीमा तक कवर किया जाना चाहिए जो वाणिज्यक उपयोग किये जाने वाले वाहनों के लिए लागु है |
31. प्रथम पक्ष को किसी भी केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / केंद्र व राज्य के उपक्रमों और कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए | फार्म को गैर-ब्लैकलिस्ट करने के बारे में एक हलफनामा संलग्न करना होगा सबूत के आभाव में अनुबंध ख़ारिज कर दी जाएगी |

वरि.लेखाधिकारी/ जीडी

Digitally signed by
Khem Chand Tiwari
Date: 03-03-2025
13:37:34